

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय-उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर
 प्रतिवादीगण लक्ष्मीनारायण व अन्य

वादी सीता

बनाम

लक्ष्मीनारायण व अन्य

केस संख्या 90/25(2025)/257

online number) दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

09.06.2025

वादी की ओर से वाद पत्र अधिवक्ता श्री गिरिराज प्रसाद प्रजापत द्वारा विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53,188 आर. टी. एक्ट पेश किया गया। वादी का वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की जरिये रजि0 ए.डी./साधारण नोटिस तलवी जारी होकर पत्रावली दिनांक 10/07/2025 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
 बस्सी

पत्रावली पेश हुई। कुलाय द्वारा कन्डोलेंस कार्य स्थगित करने के कारण पत्रावली नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 7/8/25 को पेश हो।

10/7/25

07/8/25 पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता डपण वारते इन्तजार तामील पत्रावली दिनांक 03/09/25 को पेश हो।

03/9/25 पत्रावली पेश हुई वकील पद्मेश्वर अनुपस्थिति प्रकरण में कोई समाप्ति तक रुक-रुक कर बार-बार आवज दिलाई गई। कोई हाजिर अदालत नहीं आयें। अतः वकील पडाकारान की अनुपस्थिति में दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निवेधाना अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तरे हो।

उपखण्ड अधिकारी
 बस्सी जिला-जयपुर